

बिहार सरकार
परिवहन विभाग

पत्रांक-04/STA-(विविध)-31/2018 6699 पटना, दिनांक-24.11.18
प्रेषक,

संजय कुमार अग्रवाल, मा0प्र0से0
सचिव,
परिवहन विभाग, बिहार, पटना।

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी,
बिहार।
सभी जिला परिवहन पदाधिकारी,
बिहार।

विषय : "मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना" के क्रियान्वयन की संशोधित समय सारणी के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि "मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना" के तहत ऑनलाईन आवेदन करने की समयावधि दिनांक-27.09.2018 से 22.10.2018 तक निश्चित की गई थी। इस अवधि के बीच कई दिनों का अवकाश है। दिनांक-09.10.2018 को जिला परिवहन पदाधिकारियों तथा प्रखण्ड विकास पदाधिकारियों से हुए विमर्श के दौरान इसकी आवश्यकता महसूस की गई कि इस योजना का लाभ अधिकतम लोगों को उपलब्ध कराने के लिए यह आवश्यक है कि पूर्व से निर्धारित आवेदन प्राप्ति की समयावधि को विस्तारित किया जाय।

उपरोक्त के आलोक में योजना के विभिन्न चरणों के क्रियान्वयन की समयावधि को बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। संशोधित समय सारणी निम्न प्रकार है:-

क्र0	कार्य का विवरण	समयावधि
1.	योजना का प्रशिक्षण एवं जागरूकता	11.09.2018 से लगातार
2.	पंचायतवार आवेदन करने की तिथि	31.10.2018 तक
3.	प्रखंड स्तर पर आवेदनों के आधार पर वरीयता सूची का निर्माण	01.11.2018-08.11.2018
4.	प्रखंड स्तरीय समिति की बैठक एवं अनुशांसा का प्रेषण	12.11.2018-16.11.2018
5.	अनुमंडल स्तरीय समिति की बैठक	19.11.2018-24.11.2018
6.	चयन सूची का प्रकाशन	27.11.2018
7.	आपत्ति आमंत्रण	28.11.2018-07.12.2018

8.	आपत्ति निराकरण	10.12.2018-12.12.2018
9.	अंतिम चयनित सूची का प्रकाशन	14.12.2018
10.	प्रखंड विकास पदाधिकारी के द्वारा चयनित लाभुकों को चयन पत्र का तामिला	15.12.2018-18.12.2018
11.	वाहन खरीद हेतु चयनित लाभुक से अनुदान प्राप्ति हेतु राशि का आवेदन प्राप्त करना।	15.12.2018 से लगातार
12.	अनुदान की राशि RTGS के माध्यम से लाभुक के खाते में उपलब्ध कराना	आवेदन प्राप्ति के 7 दिनों में RTGS से भुगतान

अतः अनुरोध है कि संशोधित समय सारणी के अनुसार योजना के क्रियान्वयन की कार्रवाई सुनिश्चित की जाय।

विश्वासभाजन,

by
22/10/18
सचिव,

परिवहन विभाग, बिहार, पटना।

बिहार सरकार
परिवहन विभाग

पत्रांक-04 / STA-(विविध)-31 / 2018

पटना, दिनांक-.....

प्रेषक,

संजय कुमार अग्रवाल, मा0प्र0से0
सचिव,
परिवहन विभाग, बिहार, पटना।

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी,
बिहार।
सभी जिला परिवहन पदाधिकारी,
बिहार।

विषय : "मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना" के क्रियान्वयन की संशोधित समय सारणी के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि "मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना" के तहत ऑनलाईन आवेदन करने की समयावधि दिनांक-27.09.2018 से 22.10.2018 तक निश्चित की गई थी। इस अवधि के बीच कई दिनों का अवकाश है। दिनांक-09.10.2018 को जिला परिवहन पदाधिकारियों तथा प्रखण्ड विकास पदाधिकारियों से हुए विमर्श के दौरान इसकी आवश्यकता महसूस की गई कि इस योजना का लाभ अधिकतम लोगों को उपलब्ध कराने के लिए यह आवश्यक है कि पूर्व से निर्धारित आवेदन प्राप्ति की समयावधि को विस्तारित किया जाय।

उपरोक्त के आलोक में योजना के विभिन्न चरणों के क्रियान्वयन की समयावधि को बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। संशोधित समय सारणी निम्न प्रकार है:-

क्र0	कार्य का विवरण	समयावधि
1.	योजना का प्रशिक्षण एवं जागरूकता	11.09.2018 से लगातार
2.	पंचायतवार आवेदन करने की तिथि	31.10.2018 तक
3.	प्रखंड स्तर पर आवेदनों के आधार पर वरीयता सूची का निर्माण	01.11.2018-08.11.2018
4.	प्रखंड स्तरीय समिति की बैठक एवं अनुशंसा का प्रेषण	12.11.2018-16.11.2018
5.	अनुमंडल स्तरीय समिति की बैठक	19.11.2018-24.11.2018
6.	चयन सूची का प्रकाशन	27.11.2018
7.	आपत्ति आमंत्रण	28.11.2018-07.12.2018

8.	आपत्ति निराकरण	10.12.2018—12.12.2018
9.	अंतिम चयनित सूची का प्रकाशन	14.12.2018
10.	प्रखंड विकास पदाधिकारी के द्वारा चयनित लाभुकों को चयन पत्र का तामिला	15.12.2018—18.12.2018
11.	वाहन खरीद हेतु चयनित लाभुक से अनुदान प्राप्ति हेतु राशि का आवेदन प्राप्त करना।	15.12.2018 से लगातार
12.	अनुदान की राशि RTGS के माध्यम से लाभुक के खाते में उपलब्ध कराना	आवेदन प्राप्ति के 7 दिनों में RTGS से भुगतान

अतः अनुरोध है कि संशोधित समय सारणी के अनुसार योजना के क्रियान्वयन की कार्रवाई सुनिश्चित की जाय।

विश्वासभाजन,

ह0/—

सचिव,

परिवहन विभाग, बिहार, पटना।

पटना दिनांक... 24/12/18

ज्ञापांक-04/STA-(विविध)-31/2018

6699

प्रतिलिपि :- सभी अनुमंडल पदाधिकारी, बिहार/सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

Liaw
24/12/18

सचिव,

परिवहन विभाग, बिहार, पटना।